>

Title: Need to include agriculture sector under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): एक तरफ व्यावसायिक खेती ने किसानों का आर्थिक जीवन दिशा बदल दी है। उनका शहरों की तरफ अन्य व्यवसाय में पलायन/स्थानांतरण हो रहा है तो दूसरी तरफ मनरेगा योजना ने कृषि विकास पर विपरीत असर करना शुरू कर दिया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत खेत मजदूरों को रूपये 120/- मजदूरी मिलती है जो गांवों में दी जाने वाली दिहाड़ी से ज्यादा है। योजनान्तर्गत लोगों को गांवों में ही रोजगार मिल जाता है। फलस्वरूप वह दूसरी जगह काम करने नहीं जाते। परिणामस्वरूप गांवों के खेती काम के लिए खेत मजदूरों की कमी हो रही है। गुजरात और देश के सभी राज्यों में यह विशेष रूप से नजर आ रहा है। खेत मजदूरों की कमी की समस्या ने कुछ किसानों को खेती व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय की ओर पलायन करने को बाध्य कर दिया है। मुख्य मंत्रीजी ने भी खेती विकास दर की कमी पर चिंता व्यक्त की है। तदुपरांत नव नियुक्त ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने खेती के मौसम में 3 माह तक मनरेगा योजना को स्थगित करने का सुझाव किया है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मनरेगा से उत्पन्न होने वाली खेत मजदूरों की कमी को महेनजर रखते हुए उसके स्वरूप एवं अमलीकरण पर पुनर्विचार करें एवं खेती के काम को मनरेगा योजना के तहत शामिल किये जाने का मेरा निवेदन है।